में फतेहपुर जनपद के धाता एवं विजयीपुर विकास क्षेत्रों में लगभग सौ गांवों के किसान मजदूर बुरी तरह प्राकृतिक प्रकोप के शिकार हुए हैं। गत 23-24 मार्च की रात्रि में इस क्षेत्र में भयंकर रूप से उपलवृष्टि हुई है जिस के कारण रबी की तमाम तैयार फसल नष्ट हो गई है। कुछ गांवों में तो फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। मैं 10 अप्रैल को उस क्षेत्र में गया था और प्रकृति की विनाश लीला को देखा था। उस क्षेत्र के किसान विशष कर लघु सीमांत किसान तथा कृषि श्रमिक अधिक भयाक्रांत तथा पीड़ित दिखाई पड़े। उनके समक्ष जीवन यापन की समस्या उपन्न हो गई है जो भूमिहीन श्रमिक इस मौसम में फसलों की कटाई से कुछ आय कर लेते थे. उन के समक्ष बुभूक्षा की समस्या आसन्न है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरा सरकार से साग्रह अनुरोध है कि उस क्षेत्र में अधोलिखित राहत काय तत्काल प्रारम्भ किए जाएं :—

1. ग्रामीण पुनिमाण योजना को प्रभावी किया जाए उसके तथा अन्तर्गत सड़कों का निर्माण तालाबों का उत्खनन, वृक्षारोपण तथा तत्संबंधी कार्य तत्काल प्रारंभ किए जायें जिस से श्रमिकों को जीविकोपार्जन का आधार मिल सके।

2. कृषकों द्वारा देय समस्त भुगतान जैसे लगान, सहकारी समितियों द्वारा खाद, बीज, नकदी आदि ऋण, सिचाई विद्युत संबंधी व्यय आदि स्थिति हो नहीं, वरन पूर्ण रूप से माफ किया जाए।

3. छोटे किसानों को फसल-क्षति के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जावे।

4. केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय सरकारों के साथ विचार विमर्श कर के फसलों तथा पशुओं की बीमा-योजना को क्रियान्वित करने की दिशा में उपाय करना चाहिए, जिस से प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को कुछ राहत मिल सके।

(ix) NEED FOR STRINGENT LEGISLATION TO PREVENT CRUELTY TO ANIMALS

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, आदिकाल से ही मनुष्य और पशुओं का निकट का सहयोग और संबंध रहा है। कृषि प्रधान देश भारत में जो आदिकाल से अन्न उत्पादन के क्षेत्र में पशुओं की ही महत्वपूर्ण भुमिका रही है। आज भी हमारे गांव में 99 प्रतिशत से भी अधिक किसान कृषि कार्य में पशुओं पर ही निर्भर करते हैं। दुधारू पशु मानवमात्र और जन स्वास्थ्य के लिए वरदान हैं। हिन्दू धर्मावलम्बी तो पशु अर्थात् गऊ को गो माता के नाम से पुकारते हैं और उसकी पूजा करते हैं। पशु को मारना, कष्ट देना पाप माना जाता है।

जहां पशु मानव के लिए सहयोगी के रूप में पूज्यनीय रहा है। अनेक लोगों ने पशु के मांस से अपनी क्षुधा बुझाने, उसके खाल से शरीर को ढकने तथा हड्डियों तक को उपयोग में लाता है। कहने का तात्पर्य मरणोपरान्त भी पशु का हाड़-मास, चाम मनुष्य के उपयोग में आता है। इधर कुछ वर्षों से शनै शनै पशुओं का विनाश और उसके प्रति क्रूरता बढ़ रही है। जंगली पशु और जानवर तो सामन्त लोगों के शिकार के नाम से क्रीडा का साधन बन गए हैं। क्रूरता

[श्री राम लाल राही]

और पशुओं का विनाश देख केन्द्र सरकार ने सन् 1960 में पशुओं के प्रति क्रूरता का अधिनियम पुरःस्थापित किया, जिसे भारतीय संसद ने हर्ष ध्वनि से स्वीकृति दी। इस अधिनियम के अन्तर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता जैसे पशुओं को पीटना क्षमता से अधिक भार ढोना, अकारण यातना देना, रोगी पशुओं से काम लेना, उन्हें भूखा रखना, अकारण बांध कर रखना, क्रूरतापूर्वक पीटना और मार डालना आदि पर प्रतिबंध लगाया गया था और ऐसा क्रूर व्यवहार करने वालों के प्रति दंड की व्यवस्था की गई थी। परन्तु पशुओं के प्रति क्रूरता करने वाले बाज नहीं आए। आज भी उनके साथ बर्बरता का व्यवहार हो रहा है।

इधर आजादी के बाद पशुओं की समुचित देखभाल, उनके रोग ग्रस्त होने पर स्वास्थ्य लाभ एवं पौष्टिक आहार दिए जाने आदि की दिशा में प्रयास किए गए। पर उपेक्षित व दूषित कार्य प्रणाली के कारण आज भी हजारों पशु प्रति-वर्ष काल के गाल में समा रहे हैं।

नगरीय क्षेत्रों में पशु पालक दुधारू पशुओं को ही अक्सर रखते हैं, उसके साथ पर ये शहरी लोग जिस प्रकार क्रूरता का व्यवहार करते हैं, संवैधानिक दृष्टि से अपराध की सीमा में नहीं आता। 80–90 प्रतिशत शहरी पशु पालक अपने कथित पशुओं को मात्र दूध दोहने के लिए घर रोकते हैं। स्वार्थ निकल जाने के बाद पुनः सड़कों पर छोड़ देते हैं। जो नगरीय क्षेत्रों से लेकर सटे ग्रामीण इलाकों के कृषकों की फसलों तक को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी नगर के किनारे के गांव में जाकर वहां के किसानों से मिल कर पूछने और उ खेतों को देखने पर सहज ही में नुकसान की सीमा को आंका जा सकता है। यह प्रक्रिया मैं नगर सीतापुर में 20 वर्षों से देखता आ रहा हूं। पड़ौसी गांव के लोग शहरी पशुओं से परेशान हैं। पशुपालक पशु के पकड़े जाने पर छुड़ाने के लिए किसानों को भय व आतंक से परेशान करते हैं। शहरी पशुओं के नुकसान से सीमावर्ती किसान दाने-दाने का मोहताज हो जाते हैं। प्रशासन भी कानून के अभाव में उनकी कोई मदद नहीं कर पाता? यही नहीं शहरी छुट्टा पशुओं के साथ स्वाभाविक रूप से नुकसान करने पर क्रूरता का व्यवहार होता है। कभी-कभी बुरी मार से शरीर क्षत-विक्षत भी हो जाता है। पर इसकी जिम्मेदारी उस क्रूरता करने वाले की नहीं बल्कि उस क्रूर व्यक्ति की है जो मात्र दूध या अपने उपयोग के लिए पशु को पालता है। खाना देने और बांध रखने की जिम्मेदारी से वह भागता है। ऐसे स्वार्थी मनुष्य को रोगग्रस्त पशुओं का इलाज तक नहीं कराते।

सरकार से मेरी मांग है कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण विधेयक को संशोधित कर पशुओं को छुट्टा रखने वाले पशुपालक को अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए और पशुओं के साथ ऐसा क्रर व्यवहार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कानून बनाया जाना चाहिए ताकि बेजवान पशु मात्र लोगों के स्वार्थ सिद्धि का साधन ही न रहे। पशु पालक उसकी सेवा और नियन्त्रण में रखने के लिए बाध्य हों। मेरी केन्द्र सरकार से यह भी प्रार्थना है कि वह राज्य सरकारों से भी कहे कि पशुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार करने वाले स्वार्थी लोगों के विरुद्ध प्रभावी कानून बनाये जिस से पशु क्ररता से मुक्त हों और पशुओं के नुकसान से आम शहरी और गांव के किसान बच सकें।